न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 64 / 2015 **दायर दिनांकः 03.06.2015**

उनवान

1. रामसिंह पुत्र मांगीलाल जाति काछी निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. गोरधनी पत्नी भैरूलाल जाति काछी निवासी कुण्डी तहसील अटरू
2. कमल पुत्र अमरलाल जाति काछी निवासी कुण्डी हाल मोठपुर तहसील अटरू
3. मिट्टडी पुत्र कान्हा पत्नी मांगीलाल जाति काछी निवासी कुण्डी तहसील अटरू
4. मथरीबाई पुत्री कान्हा पत्नी नन्दकिशोर जाति काछी निवासी कुण्डी हाल नाका चुंगी के पास छीपाबडोद तहसील छीपाबडोद जिला बारां (राज०)
5. भूली उर्फ भूरीबाई पुत्री कान्हा पत्नी रामसिंह जाति काछी निवासी कुण्डी हाल नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)
6. श्रीलाल पुत्र कान्हा जाति काछी निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,91, 92 ए, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल
प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रतिवादी क्रम 2
विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी प्रतिवादी क्रम 3 व 6

निर्णय दिनाकः 24.04.2025

वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88,91, 92 ए आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी ख0नं0 692 का रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी। जो प्रतिवादी क्रम 2 कमल के पिता अमरलाल एवं प्रतिवादीगण 3 ता 6 के खाते एवं कब्जे काश्त में थी। बाद सेटलमेन्ट ख0नं0 692 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि के नये ख०नं० 809 रकबा 0.43

है0 बनाया हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि प्रतिवादी क्रम 2 के पिता अमरलाल एवं प्रतिवादी क्रम 3 ता 6 ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1989 को वादी को बैचान कर कब्जा समभला दिया तब से यह भूमि वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। वर्ष 1989 से वर्ष 2009 तक अटरू तहसील में सेटलमेन्ट कार्यवाही विचाराधीन थी, पटवारियो का रिकार्ड सेटलमेन्ट विभाग के पास था, इसलिए पटवारी हल्का ने वादी द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तरण वादी के पक्ष में तस्दीक नही किया जा सका, दोराने सेटलमेन्ट के अधिकारीयो एवं कर्मचारियो ने गैर कानूनी तरीके से पद का दुरूपयोग करते हुये क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पुराने राजस्व रिकार्ड की प्रविष्ठि में परिवर्तन कर पुराने ख0नं0 692 का रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा के नये ख0नं0 809 का रकबा 0.43 है0 भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 गोरधनी के खाते दर्ज कर दी। वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकले ली और श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को रिकार्ड दुरूस्त कर वादी के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने का दिनांक 21.05.2015 को केम्प कुण्डी में निवेदन किया तो उन्होने उपजिला कलेक्टर महोदय अटरू के यहा दुरूस्ती एवं खातेदारी का वाद प्रस्तुत करने की हिदायत दी। वादी खाते को दुरूस्त करवाकर खाते की ख0नं0 809 का रकबा 0.43 है० भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 गोरधनी का नाम पृथक करवाकर वादी खातेदार कृषक घोषित होने का एवं राजस्व रिकार्ड मे इस आशय का अंकन करवाने का अधिकारी हैं। जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 जा०दी० का नोटिस प्रेषित कर दिया हैं लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया तो प्रतिवादी क्रम 1 गोरधनी भूमि को रहन बैचान करने पर आमादा होने से वादी को अनेकानेक वाद विवादो में उलझना पडेगा इसलिए मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) जा०दी० का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से पेश हैं। श्रीमान तहसीलदार साहब भूमि धारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे वाद में प्रतिवादी क्रम 7 बनाया हैं। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 28.06.2010 को राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर व अन्तिम बार दिनांक 21.05.2015 को श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम कुण्डी तहसील अटरू में स्थित हाने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी पक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावेः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ख०न० 809 रकबा 0.43 है० भूमि प्रतिवादी क्रम 1 गोरधनी के खाते से पृथक किये जाकर खाते को दुरूस्त किये जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे इस आशय का अंकन करवाया जो।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद न० 1 मे आराजी दर्ज खाता होना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न० 2 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है तथा कथन है कि प्रतिवादीकम 2 के पिता अमरलाल ने जमीन बैचान की हो तो पता नहीं है। अमरलाल की मृत्यु हुई तब प्रतिवादीकम 2 की आयु मात्र 1 माह थी इसलिए वाद पत्र की मद न० 1 वर्णित आराजी के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। वाद पत्र की मद न० 3 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न० 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न० 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा कथन है कि वादी को प्रतिवादी क्रम 2 ने कोई धमकी नही दीं। वाद पत्र की मद न0 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद न० 7 अस्वीकार है तथा कथन है कि वादी ने वाद मियाद बाहर पेश किया है जो काबिल खारिज होने योग्य है। वाद पत्र की मद न० 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद न0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद न० 10 अस्वीकार है। अनुतोष वादी अस्वीकार है।

अतः माननीय न्यायालय मे प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रम 3, 6 व 7 द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया ।

दावे व जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई –

तनकी नं. 1– आया कि वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ख0नं0 809 रकबा 0.43 है0 भूमि गोरधनी के खाते पृथक करवाकर खाते को दुरूस्त करवाकर खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी है।

वादी

तनकी नं. 2– अनुतोष

साक्ष्यवादी के तहत pw1 रामसिंह पुत्र मांगीलाल जाति काछी शपथ पत्र पेश किया तथा सशपथ गवाह बयान दर्ज किये गये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से जमीन वादी द्वारा क्रय की गई थी तथा वादीगण विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है इसलिए वादीगण को खातेदार कृषक घौषित किया जावें।

अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा बहस का पुरजौर विरोध करते हुए कथन किया की वाद पत्र को खारिज किया जावें।

वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवज नकल जमाबन्दी खाता संख्या 161 सम्वत 2036–2039 (प्रदर्श–1), प्रतिलिपि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (प्रदर्श–2), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–3), नकल जमाबन्दी सम्वत 2063–2066 (प्रदर्श–4) का अध्ययन कर विवेचन व विश्लेषण किया गया।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

तनकी नं0 1:– जमाबन्दी ग्राम कुण्डी तहसील अटरू सम्वत 2036–2039 (प्रदर्श–1) के अनुसार खाता संख्या 161 का खसरा नं0 692 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी भूमि अमरलाल बेटा कान्हा, मिट्टडी बाई, मथरी बाई, भूरी बाई बेटी कान्हा के हिस्सा 1/2, कान्हा बेटा मोती हिस्सा 1/2 जाति काछी के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–3) के अनुसार ग्राम कुण्डी तहसील अटरू के ख0नं0 692 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का हाल ख0नं0 809 रकबा 0.43 है0 है। नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी तहसील अटरू सम्वत 2063–2066 (प्रदर्श–4) के अनुसार ख0नं0 809 रकबा 0.43 है0 भूमि गोरधनी पत्नी भैरूलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1989 (प्रदर्श–2) के अनुसार अमरलाल, मिट्टडी बाई, मथरी बाई, भूरी बाई द्वारा ख0नं0

692 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा को रामसिंह आत्मज श्री मांगीलाल जाति काछी को विक्रय किया गया है।

प्रतिवादीगण उपरोक्त विवरण को अस्वीकार करने बाबत् पर्याप्त तथ्य साबित करने में असफल रहे है तथा वादी द्वारा विवादित आराजी जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया जाना साबित है। अतः तनकी नं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष में तथा विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम व माल कुण्डी पटवार हल्का कुण्डी तहसील अटरू की आराजी ख0नं0 809 रकबा 0.43 है0 आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 64/2015 **दायर दिनांकः 03.06.2015**

उनवान

1. रामसिंह आयु वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति काछी निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. गोरधनी पत्नि भैरूलाल जाति काछी निवासी कुण्डी तहसील अटरू
2. कमल पुत्र अमरलाल जाति काछी निवासी कुण्डी हाल मोठपुर तहसील अटरू
3. मिट्ठडी पुत्र कान्हा पत्नि मांगीलाल जाति काछी निवासी कुण्डी तहसील अटरू
4. मथरीबाई पुत्री कान्हा पत्नि नन्दकिशोर जाति काछी निवासी कुण्डी हाल नाका चुंगी के पास छीपाबडोद तहसील छीपाबडोद जिला बारां (राज०)
5. भूली उर्फ भूरीबाई पुत्री कान्हा पत्नि रामसिंह जाति काछी निवासी कुण्डी हाल नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)
6. श्रीलाल पुत्र कान्हा जाति काछी निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
7. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,91, 92 ए, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रतिवादी क्रम 2

विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी प्रतिवादी क्रम 3 व 6

मिनजानित मुदई रूबरू .....ग.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल कुण्डी पटवार हल्का कुण्डी तहसील अटरू की आराजी ख0नं0 809 रकबा 0.43 है0 आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....ग..... मुबालिक .....ग..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....ग..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....ग..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 24.04.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)